न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जोधपुर(ग्रामीण)
पीठासीन अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी सं. :– 320 / 2023
जीसीएमएस नम्बर :– 2023 / 609

प्रार्थी :–

तहसीलदार ओसियां राजस्व तहसील ओसियां जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. श्रीमती कुन्दन कंवर पत्नी जोगसिंह भाटी, निवासी ओसियां।
2. श्रीमती जडाव कंवर पत्नी शेरसिंह, जाति राजपूत, निवासी ओसियां।
3. श्रीमती जशोदा पत्नी तनसुख, जाति सोनार, निवासी ओसियां।
4. ग्राम पंचायत जरिये सरपंच ग्राम पंचायत ओसियां तहसील ओसियां जिला जोधपुर।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 विरूद्ध पट्टा विलेख संख्या 06 दिनांक 06.12.2004 जो ग्राम पंचायत ओसियां द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. अप्रार्थी संख्या 01 नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित।
2. अधिवक्ता श्री सज्जनसिंह राजपुरोहित व भवानीसिंह (अप्रार्थी संख्या 02 व 03)।

आदेश **दिनांक :–25.11.2024**

प्रार्थी ने यह पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 विरूद्ध पट्टा विलेख संख्या 32 दिनांक 16.07.2004 जो ग्राम पंचायत ओसियां द्वारा जारी किया गया, को निरस्त करवाने हेतु पेश की है। पंचायत निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत ओसियां से मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से अधिवक्ता श्री सुगनमल परिहार व अप्रार्थी संख्या 03 की ओर से अधिवक्ता श्री सज्जनसिंह ने वकालतनामा पेश किया। ग्राम पंचायत ओसियां से मूल अभिलेख प्राप्त हुआ। अप्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस दिनांक 21.11.2024 को सुनी जाकर पत्रावली दिनांक 25.11.2024 को आदेश हेतु रखी गई।

पंचायत निगरानी के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम आबादी ओसियां में खसरा नम्बर 1535 तहसील ओसियां में कार्यरत कर्मचारियों के रहवासीय क्वार्टर पुराने तहसील बनने के समय से बने हुए है। तहसील कार्यालय ओसियां में संधारित नजूल भूमि रजिस्टर के क्रम संख्या 03 पर दर्ज सरकारी रहवासीय क्वार्टर खसरा

नम्बर 1535 रकबा 5.17 बीघा दर्ज है, जो राजकीय नजूल सम्पत्ति है, इसी भूमि पर तहसील कार्यालय के कर्मचारियों के रहवासीय क्वार्टर बने हुए है। इन्हीं क्वार्टर के पास खुली जमीन पर अप्रार्थीगण को ग्राम पंचायत ओसियां द्वारा पट्टा जारी कर दिया गया जिससे व्यथित होकर प्रार्थी ने उक्त निगरानी पेश की है।

प्रार्थी ने निगरानी में बतलाया कि तहसील कार्यालय ओसियां में संधारित नजूल भूमि रजिस्टर के क्रम संख्यां 3 पर दर्ज सरकारी रहवासीय क्वार्टर खसरा नम्बर 1535 रकबा 5.17 बीघा दर्ज है। जो कि राजकीय नजूल सम्पति है। इसी भूमि पर तहसील कार्यालय के कर्मचारियो के रहवासीय क्वार्टर बने गये है, इन्ही क्वार्टर के पास खुली जमीन पर अप्रार्थी संख्या 1 एवं 2 ने तत्कालीन सरपंच से मिलीभगत कर दिनांक 06.12.2004 को 47 गुणा 70 यानि 3290 वर्गफुट यानि 822.5 वर्गगज का भूखण्ड गलत तरीके से ग्राम पंचायत का होना बताकर इस भूखण्ड के गलत पडौस बताते हुए उत्तर में श्यामसिह भाटी का प्लॉट, दक्षिण में आम रास्ता, पूर्व में आम रास्ता जिस पर निकाल, पश्चिम में श्री मगसिह का मकान व श्री टिकमसिह का भूखण्ड दर्शाते हुये गलत तरीके से आवासीय बाडा बताकर वास्तविक तथ्यो को छुपाते हुये आवंटित करवा लिया जिसका ग्राम पंचायत को कोई जायज हक एव कानूनन अधिकार प्राप्त नही था। तत्कालीन ग्राम पंचायत ओसियां ने तहसील कि नजूल सम्पति भूमि एवं क्वार्टर के दक्षिण पूर्व की तरफ परिसर की भूमि पर भूखण्ड अप्रार्थी संख्यां 1 व 2 को आवटित कर पट्टा जारी किये जाने से पहले हर खास एवं आम को कोई नोटिस देकर उजर ऐतराज नही मांगे और न ही कोई सार्वजनिक स्थानो और आवंटित स्थल पर साया किया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को नाजायज फायदा पहुंचाने की गरज से तहसील ओसियां की नजूल सरकारी भूमि को पंचायत की आबादी भूमि बताते हुये राजकीय भूमि का सरासर गलत आवंटन कर पंचायती राज अधिनियम के प्रचलित विधि एवं नियमो के विधि एवं नियमो के विरूद्व जाकर किया जाने से पट्टा संख्या 6 निरस्त किये जाने योग्य है।

प्रार्थी ने निगरानी में आगे बतलाया कि ग्राम पंचायत ओसियां द्वारा जारी किये गये पट्टे का स्थान नजूल सम्पत्ति का हिस्सा है, इसके उत्तर की तरफ रास्ता व सरकारी भवन पूर्व एवं पश्चिम में सरकारी आवास भवन बने है। ऐसी दशा में प्रथम दृष्टया देखने मात्र से ही उक्त भूमि सरकारी आवासा हेतु आरक्षित होना स्पष्ट है तथा तहसील की नजूल सम्पत्ति होना साबित है। अप्रार्थी संख्यां 1 व 2 के पक्ष में तत्कालीन सरंपच ग्राम पंचायत ओसियां द्वारा किया गया भूखण्ड आवंटन ग्राम

पंचायत की आबादी भूमि नही होने से सरपंच ग्राम पंचायत ओसियां द्वारा ग्राम पंचायत के संकल्प दिनांक 05.12.2004 पर जारी पट्टा संख्या 6 दिनांक 06.12.2004 गैर कानूनी एवं शून्य है। उक्त भूमि के पट्टेधारी श्री टीकमसिह पुत्र हरिसिह जाति राजपूत निवासी ओसियां द्वारा दिनांक 17.04.1997 को इस भूखण्ड का बेचान श्रीमति कुन्दनकंवर पत्नि जोगसिह व जड़ाव कंवर पत्नि शेरसिह जाति राजपूत निवासी ओसियां दिनांक 17.04.1997 को पंजीयन हुआ। ग्राम पंचायत ओसियां द्वारा जारी पट्टा संख्यां 6 दिनांक 06.12.2004 राजकीय नजूल भूमि में जारी किया जाना से काबिल खारिज एवं निरस्त योग्य है। श्री टीकमसिह पुत्र हरिसिह जाति राजपूत निवासी ओसियां का स्वामित्व डिफैक्टीव होने से क्रेता को देने का कतई अधिकारी नही है क्योकि बेचान मात्र कब्जे के आधार पर किया गया है। अप्रार्थी 1, 2 व 3 से स्वामित्व संबधित रिकार्ड मांगा गया। जिस पर उन्होंने पट्टा संख्यां 6 दिनांक 06.12.2004 द्वारा जारी पट्टे की छाया प्रतियां पेश की। तहसील ओसियां की नजूल भूमि सम्पत्ति की जमीन पर गलत पट्टा जारी होने की जानकारी मिलने के बाद यह निगरानी समयावधि मे पेश है।

प्रार्थी ने निगरानी में आगे और बतलाया कि अप्रार्थी सं 3 ने पट्टा संख्या 6 दिनांक 06.12.2004 की छाया प्रतियां पेश की एवं बेचाननामा पंजीबद्ध दस्तावेज 28.10.13 क्रमांक 4286/13 छाया प्रतियां पेश की। अप्रार्थी संख्या 3 श्रीमति जसोदा पत्नि श्री तनसुख ने उक्त भूखण्ड श्री पुखराज पुत्र श्री पूनमचन्द से पंजीबद्ध दस्तावेज संख्या 4286/13 दिनाक 28.10.2013 के द्वारा क्रय किया। इससे पूर्व यह भूखण्ड श्री पुखराज पुत्र श्री पूनमचन्द ने अप्रार्थी सं 2 श्रीमति जडावकंवर पत्नि शेरसिंह से दिनांक 01.03.2011 क्रमांक 793/11 से क्रय किया। तहसील ओसियां की नजूल भूमि सम्पत्ति के बेचान का अप्रार्थी संख्या 2 को कोई अधिकार नहीं था कि वह नजूल भूमि का बेचान करे। तहसील ओसियां की नजूल भूमि सम्पत्ति की जमीन पर गलत पट्टा जारी होने की जानकारी मिलने के बाद यह निगरानी समयावधि मे पेश है। तहसील ओसियां की नजूल सम्पत्ति (भूमि) राजकीय भूमि होने से इसमे राज्य सरकार का हित निहित है इसकी सुरक्षा एवं दायित्व तहसीलदार ओसियां का है। अन्त में निगरानीधीन पट्टे को निरस्त करने की प्रार्थना की।

अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर अधिवक्ता श्री भवानीसिंह ने निगरानी याचिका का जवाब प्रस्तुत कर बतलाया कि ग्राम व तहसील औसियां के आबादी क्षेत्र में आये खसरा नं. 1535 में अप्रार्थी संख्या 01 व 02 का सामलाती रहवासीय मकान आये हुए है जिसमें अप्रार्थीगण परिवार सहित बैरोक–टोक पिछले कई वर्षो से रहवास करते आ रहे है उक्त जायदाद सघन आबादी क्षेत्र में आई हुई है जिसके आस–पास कई

पक्के रहवासीय मकानात बने हुए है व व्यवसायिक दुकाने आई हुई है जो खसरा संख्या 1535 में आई हुई है उक्त खसरा संख्या 1535 की भूमि ग्राम पंचायत की भूमि है जो ग्राम औसियां के खसरा संख्या 1535 की जमाबंदी सवत् 2068 से 2071 को देखने मात्र से साबित है जिसकी प्रति उक्त जवाब याचिका पेश की गई। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 का रहवासीय मकान खसरा संख्या 1535 मे आया हुआ है एवं उक्त मकान अप्रार्थीगण के स्वयं के मालिकाना हक की पटटासुदा सामलाती रूप से कब्जासुदा व खरीदसुदा रहवासीय मकान सघन आबादी क्षेत्र में आया हुआ है। जिसका पट्टा ओसियाँ ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थीगण के हक मे पटटा संख्या 06, बुक नम्बर 55 जरिये मिसल संख्या 538 / 14.06.2004 दिनांक 06.12.2004 को जारी किया हुआ है, जिसका पंजीयन उप–पंजीयक कार्यालय ओसियां में दिनांक 21.01. 2006 को हो रखा है। इस प्रकार उक्त जायदाद सम्पुर्णरूप से पाक एवं साफ है।

उक्त भूखण्ड पूर्व में टीकमसिंह पुत्र हरिसिंह, जाति राजपुत, निवासी ओसियां का था एवं अप्रार्थी संख्या 02 व 03 के द्वारा उक्त भूखण्ड को जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 17.03.1997 को सामलाती रूप से खरीद किया गया जो जिसका पंजीयन उप–पंजीयक कार्यालय ओसियां में दिनांक 17.04.1997 को पुस्तक संख्या 01, जल्द संख्या 144, पृष्ट संख्या 186 एवं कम संख्या 445 / 97 पर पंजीबद्ध है इस प्रकार उपरोक्त वर्णित जायदाद अप्रार्थीगण की खरीदसुदा, कब्जासुदा एवं स्वामित्व की जायदाद होकर, उक्त जायदाद में किसी अन्य व्यक्ति, संस्था का कोई हक हिस्सा व अधिकार नहीं है एवं न ही उक्त जायदाद प्रार्थी के बताये अनुसार नजूल सम्पत्ति है एवं उक्त जायदाद बाबत् अप्रार्थीगण द्वारा ग्राम पंचायत औसियां के समक्ष दिनांक 14.06.2004 को एक प्रार्थनापत्र बाबत् हासिल करने भूमि विकय विलेख का सामलाती रूप से प्रस्तुत किया गया। जो ग्राम पंचायत कार्यालय ओसियां की आज्ञाओं की सूची को देखने मात्र से साबित है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त जायदाद संबंधी सभी कानूनी कार्यवाही कर मौका निरीक्षण कर आपत्ति बाबत नोटिस जारी कर हर आम एवं खास को सूचित कर कानूनन पट्टा जारी किया गया तत्पश्चात उक्त जायदाद बाबत् कार्यालय ग्राम पंचायत ओसियां द्वारा दिनाक 28.01.2006 को अनाप्ति प्रमाण पत्र सामलाती रूप से जारी किया गया उस वक्त भी उक्त जायदाद बाबत् किसी भी प्रकार की कोई उग्र एतराज आपप्ति किसी भी व्यक्ति, संस्था या पंचायत को नही थी। पूर्व मे उक्त जायदाद का पट्टा जागीरी पट्टा था एवं जागीरी समाप्त होने पश्चात उक्त जायदाद ग्राम पंचायत के अधीन हुई तब अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के सामलाती रूप से ग्राम पंचायत मे पट्टे बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पट्टा बनवाया गया एवं ग्राम पंचायत ओसियां द्वारा उक्त पट्टे बाबत् सम्पूर्ण

कार्यवाही कर उक्त भूखण्ड का पटटा अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के नाम से सामलाती जारी किया गया।

अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने बहस में आगे बतलाया कि प्रार्थी का यह कहना गलत है कि तत्कालीन ग्राम पचायत ओसियां ने तहसील की नजूल सम्पति भूमि व क्वार्टर के दक्षिण–पूर्व की ओर परिसर की भूमि पर भूखण्ड अप्रार्थी संख्या 01 को आवंटित किये जाने से पहले हर खास एवं आम को नोटिस देकर उजर एतराज नहीं मांगे और न ही कोई सार्वजनिक स्थानो व आवंटित स्थल पर छाया किया। सही तथ्य इस प्रकार है कि तत्कालीन ग्राम पंचायत ओसियां के कार्यकाल में पट्टे बाबत् सम्पूर्ण कार्यवाही कानुनी प्रकिया से की गई थी जो कार्यवाही ग्राम पंचायत ओसियां के रेकर्ड में उपलब्ध हैं, एवं भूखण्ड के निर्माण से लेकर भूखण्ड पर रहवास तक की अनुमति ग्राम पंचायत ओसिया के द्वारा अप्रार्थीगण को प्रदान की गई थी। प्रार्थी का यह भी कहना गलत है कि आवंटन गुप्त रूप से पंचायती राज अधिनियम के प्रचलित विधि एवं नियमों के विपरित जाकर करवाया गया है, उक्त भूखण्ड का पट्टा ग्राम पंचायत ओसिया के द्वारा आबादी भूमि का विक्रय विलेख राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अधीन स्थापित पंचायत ओसिया जो इस अधिनियम की धारा 9 की उपबन्धो के आधार पर निगमित निकाय है जिसे आगे विक्रेता कहा गया है ओर दुसरे पक्षकार को क्रेता कहा गया है। उक्त पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा विधि व नियमों को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है जो कतई निरस्त किये जाने योग्य नहीं हैं।

उक्त जायदाद टिकमसिंह की थी उन्होंने उक्त जायदाद अप्रार्थी संख्या 02 व 03 को सामलाती रूप से वसीयतनामा किया जब से उक्त जायदाद अप्रार्थी संख्या–1 के द्वारा अप्रार्थी संख्या–2 के हक में लिखा गया है, जो पूर्ण होस व हवास, बिना नशे पते के व गवाहो के समक्ष निष्पादित किया गया। प्रार्थी का यह भी कहना गलत है कि पट्टाधारी टीकमसिंह के स्वामित्व डिफेक्ट होने से अप्रार्थी संख्या 2 को वसीयत करने का कोई हक व अधिकार नही था। बहस के अन्त में प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना–पत्र मियाद बाहर व सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।?

हमने पत्रावली व ग्राम पंचायत से प्राप्त मूल अभिलेख का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। प्रथमतः ग्राम पचांयत ओसियां द्वारा जारी पट्टे को उपपंजीयक ओसियां (तहसीलदार ओसियां) के समक्ष दिनांक 28.01.2006 को पंजीकृत करवाया गया इससे स्पष्ट है कि निगरानीधीन पट्टे की जानकारी प्रार्थी को वर्ष 2006 से ही हो गई थी। इसके बाद पट्टे में

वर्णित भूमि का रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 01.03.2011 को किया गया। उक्त रजिस्टर्ड बेचाननामा उपपंजीयक ओसियां के समक्ष निष्पादित किया गया। अतः उक्त पट्टे की जानकारी प्रार्थी को पुनः 2011 में हो गई थी फिर भी प्रार्थी तहसीलदार ओसियां द्वारा अत्यधिक विलम्ब से उक्त निगरानी पेश की गई। द्वितीयतः प्रार्थी का प्रकरण में मुख्य कथन रहा कि ग्राम पंचायत द्वारा नजूल सम्पत्ति का पट्टा अप्रार्थीगण के पक्ष में जारी कर दिया जबकि ग्राम पंचायत को नजूल सम्पत्ति पर पट्टा जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रकरण में इस बाबत् तहसीलदार ओसियां से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार ओसियां ने अपनी रिपोर्ट में बतलाया कि ग्राम ओसियां के खसरा नम्बर 1535 रकबा 98.17 बीघा वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत् 2068–71 के खाता संख्या 1279 में ग्राम पंचायत के अधीन है। राजस्व रिकॉर्ड अनुसार नजूल सम्पत्ति का उल्लेख नहीं है। नजूल सम्पत्ति का विवरण का आधार भू0अ0 शाखा में स्थित नजूल रजिस्टर है किन्तु वक्त सैटलमेंट से आज दिनांक इससे राजस्व रिकॉर्ड में कही नहीं दर्शाया गया है अर्थात् नजूल सम्पति की तरमीम नहीं हुई है। नजूल रजिस्टर में रकबा अनुसार नक्शा अंकित नहीं है। न ही वर्तमान नक्शा लट्टा ट्रेस में रकबा 5.17 बीघा का अंकन है। इस आधार पर निगरानीधीन पट्टे की भूमि नजूल सम्पत्ति होना प्रतीत नहीं होती है। उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना–पत्र मियाद बाहर होने व सारहीन होने से निरस्त किया जाता है। ग्राम पंचायत का मूल अभिलेख आदेश की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
जोधपुर (ग्रामीण)

आदेश आज दिनांक 25.11.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
जोधपुर (ग्रामीण)